

# कार्यालय जिला चिकित्सालय रोगी कल्याण समिति, शाजापुर (म.प्र.)

क्रमांक / रो.क.स. / 2019 / 4635

शाजापुर, दिनांक 28.08.19

**निविदा फार्म**

निविदादाता का  
नवीनतम कलर  
फोटोग्राफ्स

निविदा फार्म नं. ....

दिनांक .....

1. निविदा कार्य : .....
2. निविदादाता का नाम : .....
3. पता : .....
4. दूरभाष नम्बर : .....
5. प्रतिभूति राशि : रुपये ..... बैंक का नाम.....  
बैंक ड्राफ्ट / एफ.डी.आर. क्रमांक ..... दिनांक .....

1. ऑक्सीजन सिलेण्डर भराई :

- (1) आक्सीजन प्रति क्यूबिक (अधिकतम 18.33 पैसे)
- (2) नाईट्रो ऑक्सीजन प्रति क्यूबिक (अधिकतम 239.00 पैसे)

**नोट :-**

- 1/ निविदाओं के संबंध में नियम एवं शर्तें कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।
- 2/ निविदा स्वीकृति की दशा में अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा।
- 3/ निविदा की शर्तें इस निविदा फार्म के साथ संलग्न है।

**संलग्न :** बैंक ड्राफ्ट / एफ.डी.आर. क्रमांक ..... राशि रुपये ..... दिनांक .....

निविदादाता के हस्ताक्षर .....

पूरा नाम : .....

पता : .....

दूरभाष / मोबाईल नम्बर .....



# कार्यालय जिला चिकित्सालय रोगी कल्याण समिति, शाजापुर (म.प्र.)

## ऑक्सीजन सिलेण्डर भराई निविदा की मुख्य शर्तें

- 1/ ऑक्सीजन सिलेण्डर का माप अंकित करें व बिल में दर्शाना होगा एवं उसी आधार पर राशि का मूल्यांकन होगा।
- 2/ ऑक्सिजन सिलेण्डर प्रदायन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञप्ति आवश्यक हैं
- 3/ बिल पर बिल नम्बर एवं जीएसटी नम्बर (GST No.) प्रिन्ट होना चाहिए, बिल नम्बर हाथ से लिखा हुआ मान्य नहीं होगा।
- 4/ निविदा भरते समय उसमें स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा कि आपके द्वारा भरी गई निविदा दर में वेट टैक्स शामिल है अथवा नहीं।
- 5/ सिलेण्डर मांग अनुसार 24 घण्टे के अंदर सप्लाय करना होगा।
- 6/ सिलेण्डर सप्लाय जिला चिकित्सालय में देने का भाड़ा देय नहीं होगा।
- 7/ निविदा में कांट-छांट, ओल्डर राईटिंग होने पर निविदा मान्य नहीं की जावेगी। ठेका स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार रोगी कल्याण समिति को होगा।
- 8/ ठेकेदार को निविदा स्वीकृत होने पर 1000/- रुपये के स्टाम्प पर अनुबंध दोनों पक्षों के बीच स्वयं के व्यय से सम्पादित कराना होगा।
- 9/ शासन के नियमानुसार ठेकेदार अपना पेन कार्ड (PAN No.) की छायाप्रति भी जमा करें एवं नियमानुसार टी.डी.एस. भी काटा जावेगा। पेन कार्ड (PAN No.) न होने की दशा में निविदा मान्य नहीं होगी।
- 10/ रुपये 20000/- की अमानत राशि का डी.डी./ एफ.डी.आर. सचिव रोगी कल्याण समिति, शाजापुर के नाम का टेण्डर के साथ देना होगा, जो टेण्डर स्वीकृति होने की दशा में टेण्डर अवधि तक रोकस में जमा रहेगा, जिस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- 11/ विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र शाजापुर ही रहेगा।

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल,  
अधीक्षक, जिला-शाजापुर

निविदादाता के हस्ताक्षर .....  
पूरा नाम : .....  
पता : .....  
दूरभाष/मोबाईल नम्बर .....